न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः पर्वतसिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः 48/2020
उनवान मुकदमा

शकुन्तला पत्नी महेन्द्रकुमार जाति जाट उम्र 42 वर्ष निवासी मुगथली कोहाला, तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)

प्रार्थीया

बनाम

तहसीलदार, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956

प्रार्थीया वकील : श्री फारूख मोहम्मद
अप्रार्थी :– तहसीलदार बांसवाड़ा

आदेश

दिनांक :–05–08–2021

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचित किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी का लिखित कथन है कि प्रार्थिया के एक मात्र खाते कब्जे स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि गांव मुंगथली कोहाला पटवार हल्का कोहाला तहसील व जिला बांसवाड़ा में स्थित है। जिसका खाता संख्या 203 नया 201 पुराना का सर्वे नम्बर 808/160 रकबा 10 बीघा लगान 11.50 है। प्रार्थिया उक्त भूमि की एक मात्र खातेदार कृषक होकर शान्तिपूर्वक कृषि कार्य करती आ रही है।

प्रार्थिया के उक्त खाते की कृषि भूमि में पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणी भाग में डामोर रोड बन गया है, जिससे उक्त सर्वे नम्बर 808/160 दो भागों में बट गया है।

प्रार्थिया ने अपने उक्त खाते की कृषि भूमि में नियमानुसार 0.07 बिस्वा कृषि भूमि को वाणिज्यिक में कराने हेतु आवेदन किया था। जिस पर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही कर मौके की जांच रिपोर्ट हल्का पटवारी व राजस्व कर्मचारियों द्वारा करवाई गई। जहां यह तथ्य सामने आया कि प्रार्थीया के उक्त सर्वे की कृषि भूमि में लगभग 0.03 बिस्वा भूमि पर रोड पड गया है। जो उस उक्त भूमि में से रोड की भूमि में समर्पित करनी होगी। जिस पर प्रार्थिया ने सार्वजनिक हित को देखते हुए तहसीलदार बांसवाड़ा के यहां प्रार्थना पत्र पेश किया एंव उसने उक्त सर्वे नम्बर की भूमि के दक्षिण भाग में पूर्व से पश्चिम दिशा में लगभग 0.03 बिस्वा भूमि में रोड निकल गया है उसे समर्पित करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर तहसीलदार बांसवाड़ा द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर आप श्रीमान् एस. डी.ओ. साहब के आदेश से प्रार्थीया की सहमति से आदेश क्रमांक/राजस्व/2017/978 दिनांक 13.06.2017/23.06.2017 को उक्त सर्वे नम्बर 808/160 रकबा 10 बीघा में से 0.3 बिस्वा राजकीय सिवाचक्र रास्ता श्री सरकार दर्ज की गई है। इसके बाद शेष कृषि भूमि 9 बीघा 17 बिस्वा में से 7 बिस्वा जमीन जरिये प्रकरण संख्या 6/2017 दिनांक 18.07.2017 को कुल क्षैत्रफल 567 वर्गमीटर वाणिज्यिक में परिवर्तन किया गया है एवं शेष कृषि भूमि का सर्वे नम्बर 808/160 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा लगान 10.17 जो कि उक्त पडे रास्ते के उत्तर दिशा में रही और शेष भूमि 808/160/2 क्षैत्रफल 0.15 बिस्वा लगान 0.86 इस प्रकार

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

कुल खेत कुल क्षैत्रफल 9 बीघा 17 बिस्वा लगान 11.13 को नियमानुसार जरिये मोटेशन संख्या 865 दिनांक 30.06.2017 व सर्वे नम्बर 1643/808/160 रकबा 0.03 बिस्वा रास्ते को मोटेशन खोला गया एवं मोटेशन के अनुसार नियमानुसार जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 कायम की गई एवं नियमानुसार प्रार्थीया का खाता दर्ज रिकार्ड किया गया। जिसमें बिच में रोड पडने से उक्त 10 बीघा जमीन के 3 भाग हुवे जिसमें पूर्व से पश्चिम 3 बिस्वा जमीन रास्ते के रूप में दर्ज रिकार्ड की गई व शेष कृषि भूमि का नया सवे नम्बर 808/160 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा दर्ज की गई एवं शेष कृषि भूमि का सर्वे नम्बर 808/160/2 रकबा 0.15 बिस्वा दर्ज रिकार्ड किया गया एवं नियमानुसार रास्ते का सर्वे नम्बर के अलावा उक्त दोनों नम्बरों के मोटेशन खोले गये। जिसकी नकल पत्रावली के साथ मौजुद है।

उक्त बताए मोटेशन के अनुसार नक्शे में पैमुदगी सही नहीं की गई और जहां आप श्रीमान एस.डी.ओ. साहब द्वारा जांच पडताल कर उक्त सर्वे नम्बर की भूमि में प्रस्तावित रास्ता व वाणिज्य सम्परिवर्तन की प्रस्तावित भूमि तथा सर्वे नम्बर 808/1060/2 रकबा 0.15 प्रस्तावित किया गया था जिसे नक्शे में पैमुदगी की गई थी जिसकी नकल संलग्न है। परन्तु बाद में राजस्व कर्मचारियों की त्रुटी के कारण आप श्रीमान द्वारा प्रमाणित किया गया नक्शे के अनुसार व नियमानुसार उक्त बताए मोटेशन के अनुसार उक्त मुल सवे नम्बर 808/160 रकबा 10 बीघा में सही पैमुदगी नहीं गई व गलत स्थान पर रास्ता दर्ज कर लिया गया है एवं प्रार्थी की शेष भूमि 808/160/2 रकबा 0.15 की कृषि भूमि को रोड के दक्षिण भाग में दर्शाया नहीं गया है व खाते में व ऑनलाईन में भी गलत तरिके से खाते का रकबा गलत दर्शाया गया है। मूल सर्वे नम्बर 808/160 जो कि नियमानुसार और खोले गये मोटेशन के अनुसार 9 बीघा 2 बिस्वा बनता है वहां 9 बीघा 10 बिस्वा कर लिया गया है।

हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीया के मुल जमाबन्दी में संवत 2070 से 2070 में स्पष्ट रूप से नामान्तरण किया है। दिनांक 30.06.2017 द्वारा खसरा नम्बर 1643/808/160 रकबा 0.03 बिस्वा किस्म रास्ता मूल सर्वे नम्बर 808/160 रकबा 10 बीघा में से सिवाचक्र रास्ते के रूप में समर्पण होने से दर्ज करने से नामान्तरण स्वीकृत शेष सर्वे नम्बर खसरा संख्या 808/160 रकबा 9.02 बीघा लगान 10.47, खसरा संख्या 808/160/2 रकबा 0.15 लगान 0.86 कुल किता 2 कुल रकबा 9.17 बीघ लगान 11.33 एवं आगे जमाबन्दी में अंकन नामान्तरकरण संख्या 867 दिनांक 21.06.2017 वाणिज्यि सम्परिवर्तन आदेश से 7 बिस्वा जमीन वाणिज्यि में सम्परिवर्तन की गई। जिसका नया नम्बर 1144/808/160 पडा है।

उक्त जमाबन्दी में मोटेशन संख्या के अनुसार किये गये इन्द्राज के अनुसार नक्शा ट्रेस में पैमुदगी नहीं की गई है व प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि की सर्वे नम्बर 808/160/2 रकबा 0.15 बिस्वा को नये नक्शे ट्रेस में पैमुदगी नहीं की है जो गलत है एवं विधि अनुसार उक्त बताए गये मोटेशन और श्रीमान द्वारा प्रस्तावित किये गये नक्शा जिसकी प्रमाणित प्रति दिनांक 13.01.2017 को प्राप्त की है। उस प्रस्तावित के अनुसार वर्तमान नक्शे में पैमुदगी नहीं की गई है एवं नये नक्शे में आप द्वारा प्रस्तावित जो रास्ता बताया गया है जो कि 3 बिस्वा का है और ये रास्ता मौके पर पूर्व से पश्चिम जा रहा है उक्त खाते के दक्षिण की तरफ स्थित है उसे दर्शाया नहीं गया है। जो कि राजस्व कर्मचारियों की त्रुटी व लापरवाहियों का नतीजा है। इसलिए प्रार्थीया को आप श्रीमान् के यहां नक्शा ट्रेस व राजस्व रेकॉर्ड में शुद्धीकरण करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में प्रार्थिया द्वारा तहसीलदार बांसवाड़ा को भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें तहसीलदार बांसवाड़ा द्वारा मौके की जांच कराई गई। जो उन्होने भी ये पाया

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

कि वास्तव में राजस्व कर्मचारियों द्वारा मोटेशन के अनुसार नक्शा ट्रेस में पैमुदगी नहीं की गई है मौके पर जहां रास्ता पूर्व से पश्चिम जा रहा है उसे पश्चिम दिशा के एक कौने में पैमुदगी कर दी गई है एवं प्रार्थीया के रोड के दक्षिण दिशा में स्थित कृषि भूमि 808/160/2 रकबा 0.15 बिस्वा को नक्शे में दर्शाया नहीं है। इसलिए राजस्व कर्मचारियों की त्रुटी के कारण एवं उनकी लापरवाही के नक्शा ट्रेस में एवं प्रार्थीया के खाते में नियमानुसार मोटेशन के अनुसार खाता दर्ज नहीं किया है इसलिए यह प्रार्थना पत्र राजस्व रिकार्ड में शुद्धीकरण हेतु पेश है।

राजस्व कर्मचारियों की त्रुटी के कारण प्रार्थीया को बहुत ही शारीरिक, मानसिक व आर्थिक दुख व कष्ट उठाना पड रहा है एवं प्रार्थीया अपनी सम्पत्ति के उपयोग, उपभोग के सवैधानिक अधिकारों से वंचित हो रही है। इसलिए आप श्रीमान् द्वारा प्रस्तावित किये गये नक्शे जिसकी फोटो कॉपी इस प्रार्थना–पत्र के साथ सलग्न है एवं नियमानुसार उक्त बताए मोटेशन जिसका आंकलन जमाबन्दी संवत 2070–2073 में अंकन किया गया है। उसके अनुसार प्रार्थिया की कृषि भूमि दक्षिण भाग में स्थित है। जिसका नया सर्वे नम्बर आप श्रीमान् प्रस्तावित नक्शे में प्रमाणित किया गया। उसके अनुसार नया सर्वे नम्बर 808/160/2 रकबा 0.15 बिस्वा भूमि को रोड के दक्षिण दिशा में पैमुदगी किये जाने व नक्शे में जो गलत रास्ता दर्ज किया है, उसे हटाकर नियमानुसार पूर्व से पश्चिम 3 बिस्वा जमीन जो वर्तमान खाते में रास्ते के रूप में दर्ज रेकार्ड है और वर्तमान में रास्ता पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है उसे नक्शे में पैमुदगी किया जाने के लिए यह प्रार्थना पत्र आप न्यायायल में पेश है एवं उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड व नक्शे में पैमुदगी व राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किय जाने के आदेश फरमावे।

फर्ददस्तावेज में जमाबन्दी संवत 2070–73, नक्शा ट्रेस की प्रस्तावित नकल, नक्शा ट्रेस समर्पित रास्त की भूमि का, सम्परिवर्तन एवं रास्ते की भूमि जो प्रार्थीया द्वारा समर्पित की गई है उस आदेश की नकल, वर्तमान नक्शा ट्रेस की नकल, वर्तमान जमाबन्दी की नकल, मोटेशन संख्या 865 की नकल, रास्ते की जमाबन्दी की नकल पेश किये है।

उक्त त्रुटि की जानकारी राजस्व रेकार्ड की नकले लेने से प्राप्त हुई एवं प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद पेश है।

प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रेकार्ड में नक्शें में रास्ता 0.03 बिस्वा का राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार मौके पर आप श्रीमान् द्वारा प्रस्तावित किये गये नक्शे अनुसार पूर्व से पश्चिम नक्शें में पैमुदगी करने का आदेश फरमावें व मोटेशन संख्या 865 दिनांक 20.06.2017 के अनुसार सर्वे नम्बर भूमि का नया सर्वे नम्बर 808/160/2 रकबा 0.15 बिस्वा को खाते में दर्ज रेकॉर्ड करने एवं नक्शा ट्रेस में नक्शे के अनुसार रोड के दक्षिण दिशा में पैमुदगी किये जाने एवं इस आदेश का शुद्धिकरण किये जाने का आदेश फरमावे एवं नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में उक्त आशय का अमल दरामद किये जाने का आदेश फरमावे।

कार्यालय तहसीलदार बांसवाड़ा ने अपने कार्यायल पत्रांक राजस्व/2021/453 दिनांक 09.03.2021 द्वारा प्रकरण में राजस्व रेकार्ड, राजस्व नक्शा एवं मौके की रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत की गई :–

1. यह कि ग्राम मूंगथली की जमाबन्दी संवत 2070–73 के खाता संख्या 203 खसरा नम्बर 808/160 रकबा 10.00 बीधा भूमि शकुन्तला देवी पत्नि महेन्द्र कुमार चौधरी निवासी कोहाला के नाम दर्ज रेकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

2. यह कि खसरा नम्बर 808/160 रकबा 10 बीघा में से रकबा 0.03 बीघा भूमि सडक सीमा हेतु कार्यालय तहसीलदार बांसवाड़ा द्वारा जारी समर्पण आदेश क्रमांक /राजस्व/2017/978 दिनांक 23.06.2017 स्वीकृत किया गया। जिसकी समर्पण आदेश की प्रति संलग्न है।
3. यह कि उक्त आदेश की पालना में ग्राम मुगथली में नया खसरा नम्बर 1143 /808/160 रकबा 0.03 बीघा सिवायचक रास्ता दर्ज किया गया है।
4. कार्यालय विहित प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा द्वारा प्रार्थिया की कृषि भूमि 808/160 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा में से 0.07 बीघा अर्थात 567 वर्गमीटर भूमि कृषि से अकृषि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित की गई। संपरिवर्तन आदेश की छायाप्रति संलग्न है।
5. मौके पर उक्त खसरा नम्बर 808/160 में से मूगथली कोहाला पक्की डामर सड़क बनी हुई है। जिसका क्षेत्रफल लगभग 0.09 बीघा है।
6. राजहीत में सड़क सीमा में आने वाली भूमि के प्रस्तावित राजस्व नक्शें में भी आवेदित भूमि का नक्शा भी करीब रकबा 0.09 बीघा होता है। जबकि प्रार्थिया ने रकबा 0.03 बीघा समपर्ण हेतु ही आवेदन किया था।
7. प्रस्तावित भूमि राजस्व नक्शे में की गई तरमीम एवं राजस्व नक्शे में पूर्व से ग्रामीण रास्ते की आकृतिया निम्नानुसार है। आकृतियां रिपोर्ट में दर्शाई गई है।
8. प्रार्थिया द्वारा राजहित में सड़क सीमा रास्ते हेतु समर्पण की गई 3 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व नक्शें के बजाय आंशिक सड़क में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण भूमि के दक्षिण में नियमानुसार सड़क के मध्य से दोनों ओर 12.5 मीटर छोड कर रूपान्तरण हुआ है। तद्अनुसार सड़के के मध्य दोनों ओर 25 फीट भूमि होती है राजस्व रेकार्ड में निम्नानुसार शूद्धि की जा सकती है। रिपोर्ट संलग्न है।

पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 05.08.2021 को सुनी गई। प्रार्थीया के विद्वान अधिवक्ता श्री फारूक मोहम्मद ने अपने कथन में बताया कि प्रार्थिया के एक मात्र खाते कब्जे स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि गांव मुंगथली कोहाला पटवार हल्का कोहाला तहसील व जिला बांसवाड़ा में स्थित है। जिसका खाता संख्या 203 नया 201 पुराना का सर्वे नम्बर 808/160 रकबा 10 बीघा लगान 11.50 थी। प्रार्थिया उक्त भूमि की एक मात्र खातेदार कृषक होकर शान्तिपूर्वक कृषि कार्य करती आ रही है। प्रार्थिया के उक्त खाते की कृषि भूमि में पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणी भाग में डामर रोड पूर्व से बना हुआ है, जिससे उक्त सर्वे नम्बर 808/160 दो भागों में बट गया है। प्रार्थिया ने अपने उक्त खाते की कृषि भूमि में नियमानुसार 0.07 बिस्वा कृषि भूमि को वाणिज्यिक में कराने हेतु आवेदन किया था। जिस पर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही कर मौके की जांच रिपोर्ट हल्का पटवारी व राजस्व कर्मचारियों द्वारा करवाई गई। प्रार्थीया के उक्त सर्वे की कृषि भूमि में लगभग 0--03 बीघा-- बिस्वा भूमि पर रोड पड रहा था। जो उस भूमि में से रोड की भूमि में समर्पित करनी होगी। जिस पर प्रार्थिया ने सार्वजनिक हित को देखते हुए तहसीलदार बांसवाड़ा के यहां प्रार्थना पत्र पेश किया एंव उसने उक्त सर्वे नम्बर की भूमि के दक्षिण भाग में पूर्व से पश्चिम दिशा में लगभग 0.03 बिस्वा भूमि में रोड निकल गया है उसे समर्पित करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर तहसीलदार बांसवाड़ा द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर प्रार्थीया की सहमति से आदेश क्रमांक/राजस्व/2017/978 दिनांक 13.06.2017/23.06.2017 को उक्त सर्वे नम्बर 808/160 रकबा 10 बीघा में से 0.3 बिस्वा राजकीय सिवायचक रास्ता श्री सरकार दर्ज की गई है। इसके बाद शेष कृषि भूमि 9 बीघा 17 बिस्वा में से 7 बिस्वा जमीन जरिये प्रकरण संख्या 6/2017 दिनांक 18.07.2017 को कुल

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

क्षैत्रफल 567 वर्गमीटर वाणिज्यिक में परिवर्तन किया गया है एवं शेष कृषि भूमि का सर्वे नम्बर 808/160 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा लगान 10.17 जो कि उक्त पडे रास्ते के उत्तर दिशा में रही और शेष भूमि 808/160/2 क्षैत्रफल 0.15 बिस्वा लगान 0.86 इस प्रकार कुल खेत कुल क्षैत्रफल 9 बीघा 17 बिस्वा लगान 11.13 को नियमानुसार जरिये मोटेशन संख्या 865 दिनांक 30.06.2017 व सर्वे नम्बर 1643/808/160 रकबा 0.03 बिस्वा रास्ते को मोटेशन खोला गया एवं मोटेशन के अनुसार नियमानुसार जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 कायम की गई एवं नियमानुसार प्रार्थीया का खाता दर्ज रिकार्ड किया गया। जिसमें बीच में रोड पडने से उक्त 10 बीघा जमीन के 3 भाग हुवे जिसमें पूर्व से पश्चिम 3 बिस्वा जमीन रास्ते के रूप में दर्ज रिकार्ड की गई व शेष कृषि भूमि का नया सवे नम्बर 808/160 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा दर्ज की गई एवं शेष कृषि भूमि का सर्वे नम्बर 808/160/2 रकबा 0.15 बिस्वा दर्ज रिकार्ड किया गया एवं नियमानुसार रास्ते का सर्वे नम्बर के अलावा उक्त दोनों नम्बरों के मोटेशन खोले गये। वाणिज्यिक संपरिवर्तन में प्रस्तुत नक्शें अनुसार नक्शें में तरमीम की जानी है। जो कि नही की गई है। अतः आपसे निवेदन है कि राजस्व रेकार्ड में दिनांक संवत 2070–2073 के खाता संख्या नई 203 पुरानी क्रमशः 201, 203 के खसरा नम्बर 808/160 रकबा 9–10 बीघा खसरा नम्बर 1144/808 रकबा 0.07 बीघा सत्यप्रतिलिपि पी–35 क्रमांक 95 दिनांक 01.08.2019 एवं 07 दिनांक 07.04.2021 में रकबा एक साथ बताया है। एक साथ रकबा बताने से भ्रम स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। जबकि वाके ग्राम मुंगथली के जमाबन्दी संवत 2070–2073 सत्य प्रतिलिपि पी 35 क्रमांक 08 दिनांक 07.04.2021 में मूल खसरा नम्बर 808/160 रकबा 10.00 बीघा के क्रमशः खसरा नम्बर 1643/808/160 रकबा 0–03 बीघा–बिस्वा किस्म रास्ता, खसरा नम्बर 808/160 रकबा 9–02 बीघा–बिस्वा, 808/160/2 रकबा 0–15 बीघा–बिस्वा कुल तीन खसरा नम्बर कुल तीन खसरा नम्बर का रकबा 10 बीघा बताया है, जो कि सही है। इस अनुसार राजस्व रेकार्ड कायम रखा जावे। कार्यालय तहसीलदार बांसवाड़ा के पत्रांक 978 दिनांक 23.06.2017 के संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार सम्पर्ण भूमि हेतु प्रस्तावित भूमि को राजकीय सिवायचक रास्ता श्री सरकार दर्ज करने के आदेश की तरमीम की जावे। कार्यालय विहित प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राज.) प्रकरण संख्या 06/2017 द्वारा जारी संपरिवर्तन आदेश क्रमांक 1763–68 दिनांक 18.07.2017 द्वारा मौजा मुंगथली के खाता संख्या 203 (नया) 201 (पुराना) के सर्वे नम्बर 808/160 रकबा 9.17 बीघा में से 7 बिस्वा यानि 567 वर्गमीटर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ (सर्विस सेन्टर एवं डेयरी फार्म) संपरिवर्तन किया गया है। संपरिवर्तन आदेश के संलग्न पटवारी पटवार मण्डल कोहाला जिला बासंवाड़ा द्वारा जारी सत्य प्रतिलिपि पी–35 क्रमांक 378 दिनांक 13.01.2017 को जारी नक्षा ट्रेस मौजा मूंगथली तहसील बांसवाड़ा अनुसार नक्षा में तरमीम की जावे। जो कि तहसीलदार बांसवाड़ा के रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 4 में भी वर्णित है। प्रार्थी द्वारा समपर्ण रास्ते से उत्तर दिशा की ओर सपंरिवर्तन आदेश की शर्त बिन्दु संख्या 5 में दिये गये आदेश की पालना करते हुए ग्रामीण संड़क से 12.5 मीटर दुरी पर निमार्ण किया गया है। रास्ते के दक्षिण दिशा में किसी प्रकार का भूमि का संपरिवर्तन नही कराया है। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की नियमों की अवहेलना नही की गई है। अतः संपरिवर्तन वाणिज्यिक पत्रावली में प्रस्तुत नक्षा पी–35 क्रमांक 378 दिनांक 13.01.2017 अनुसार तरमीम शुद्धि के आदेश फरमावे।

तहसीलदार बांसवाड़ा ने अपने कथन में बताया कि प्रार्थी की खसरा नम्बर 808/160 में से में से मूंगथली (कोहाला) पक्की डामर सडक बनी हुई है। जिसका क्षैत्रफल लगभग 0.09 बीघा बताया। इस कथन का प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता ने खंडन करते हुए बताया कि उक्त सड़क की लम्बाई 84 मीटर एवं 3.6 मीटर चौडाई अर्थात लगभग 3.024 बिस्वा भूमि सडक की होती है। प्रार्थिया द्वारा 3 बिस्वा का समपर्ण सड़क हेतु किया गया। जो कि

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

सही है। अतः संपरिवर्तन वाणिज्यिक पत्रावली में प्रस्तुत नक्शा पी–35 क्रमांक 378 दिनांक 13.01.2017 अनुसार तरमीम शुद्धि के आदेश फरमावे।

पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय संलग्नक एवं तहसीलदार बांसवाड़ा की रिपोर्ट एवं संलग्नक दस्तावेजो का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता एवं तहसीलदार बांसवाड़ा की बहस पर मनन किया तो प्रथम दृष्टया कृषि भूमि गांव मुंगथली कोहाला पटवार हल्का कोहाला तहसील व जिला बांसवाड़ा में स्थित है। जिसका खाता संख्या 203 नया 201 पुराना का सर्वे नम्बर 808/160 रकबा 10 बीघा लगान 11.50 की प्रार्थिया राजस्व रेकार्ड में साकिन देह खातेदार थी। प्रार्थिया ने वाके ग्राम मुंगथली के जमाबन्दी संवत 2070–2073 सत्य प्रतिलिपि पी 35 क्रमांक 08 दिनांक 07.04.2021 में मूल खसरा नम्बर 808/160 रकबा 10.00 बीघा के क्रमशः खसरा नम्बर 1643/808/160 रकबा 0–03 बीघा–बिस्वा किस्म रास्ता, खसरा नम्बर 808/160 रकबा 9–02 बीघा–बिस्वा, 808/160/2 रकबा 0–15 बीघा–बिस्वा कुल तीन खसरा नम्बर कुल तीन खसरा नम्बर का रकबा 10 बीघा बताया है, जिसमें कुल 10 बीघा रकबा सही है। किन्तु नामान्तरकरण संख्या 865 में दर्शाया आराजी नम्बर 1143/808/160 रकबा 0.03 बीघा–बिस्वा किस्म रास्ता अनुसार राजस्व रेकार्ड में है। जमाबन्दी में 1143/808/160 के स्थान पर 1643/808/160 दर्शाया है। जो कि सहवन से गलत अंकन प्रतीत होता है। इस अंकन की शूद्धि हेतु जमाबन्दी में दर्ज खसरा नम्बर 1643/808/160 के स्थान पर नामान्तरकरण संख्या 865 अनुसार खसरा नम्बर 1143/808/160 सही अंकन किया जावे। खसरा नम्बर 808/160 रकबा 9–02 बीघा–बिस्वा में से नवीन बटा नम्बर 1144/808/160 रकबा 0–07 बीघा–बिस्वा अर्थात (567 वर्गमीटर) वाणिज्यिक रूपान्तरण एवं उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड कायम रखा जावे। इन खसरा नम्बरों के साथ ही संपरिवर्तन आदेश के संलग्न पटवारी पटवार मण्डल कोहाला जिला बासंवाड़ा द्वारा जारी सत्य प्रतिलिपि पी–35 क्रमांक 378 दिनांक 13.01.2017 को जारी नक्षा ट्रेस मौजा मूंगथली तहसील बांसवाड़ा अनुसार नक्षा में तरमीम की जावे।

आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू प्रार्थीया का प्रार्थना स्वीकार किया जाता है। आदेश सरे इजलास सुनाया जाता है ।

आदेश आज दिनांक 05–08–2021 को सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राज.)

(पर्वतसिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राज.)